


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, (म.प्र.)

निगरानी 1004-III-15

श्रीमती श्वेता सिंह
वकायवेग 22-4-15

केस नं० 504/15
राजस्व मण्डल ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा



मिलोपित

कविता सिंह पत्नी विनय सिंह, उम्र 35 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम बड़खड़ा, थाना एवं तहसील चुरहट, जिला सीधी, (म.प्र.)

..... निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

1. सुखलाल पिता शिवनाथ केवट,
2. नर्मदा पिता परमेश्वरदीन केवट,
3. बालमीक पिता परमेश्वरदीन केवट,
4. सावित्री पत्नी विश्वनाथ केवट,
5. लाल बहादुर पिता विश्वनाथ केवट,
6. शेर बहादुर पिता विश्वनाथ केवट,
7. मन्जू पिता विश्वनाथ केवट,
8. ममता पिता विश्वनाथ केवट,
9. रियामना पिता विश्वनाथ केवट,
10. नामना पिता विश्वनाथ केवट,
11. अंचल पिता विश्वनाथ केवट,

क्रमांक
रजिस्टर्ड पोस्ट प्राप्त आज
दिनांक को प्राप्त
कलकत्ता न्यायालय
राजस्व मण्डल ग्वालियर

गैर निगरानीकर्ता क. 8 ता 11 नाबालिग जरिये वली संरक्षिका मां गैर

निगरानीकर्ता क. 4 सावित्री केवट,

निवासी ग्राम सर्रा, तहसील चुरहट, जिला सीधी, (म.प्र.)

12. अन्जू पिता विश्वनाथ केवट, पत्नी आशीष केवट, निवासी ग्राम थनवहा टोला, गोपालदास मंदिर के पास, जिला सीधी, (म.प्र.)
13. दिनेश पिता शिवनाथ केवट, उम्र 38 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम चुरहट, जिला सीधी, (म.प्र.)

क्रमांक 5150
रजिस्टर्ड पोस्ट


दिनांक 23-4-15

राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा

M

17

| | | |
|------------------|--|---|
| स्थान तथा दिनांक | R. 1004/111/15 कोविदा/15 कार्यवाही तथा आदेश <u>हुण्डल मण्डल के 2</u> | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| | <p>आदेश दिनांक 9-12-14 के उपरान्त सिविल कोर्ट द्वारा आदेश दिनांक 8-5-15 पारित किया गया है। जिसके प्रकाश में आगे कार्यवाही हेतु निर्देश किया गया।</p> <p>5- उपरोक्त सिविल कोर्ट के आदेश के परिपेक्ष में अपर कमिश्नर, सीमा समाप्त, सीमा को प्रकाश इस निर्देश के साथ प्रभावित किया जाता है कि कि वे अपने व्यापार का प्रकाश पुनः खोलें एवं सिविल कोर्ट के आदेश दिनांक 8-5-15 के प्रकाश में पुनः नये सिरे से प्रकाश में आदेश पारित करें। यह आदेश, ^{समाप्त में} दिनांक के तीन माह के अन्दर पहाकार को ^{समाप्त में} कार्यवाही का अचल देते हुए किया पारित करें। अतिम आदेश पारित होने तक अपर कमिश्नर, सीमा समाप्त, सीमा का आदेश दिनांक 9-12-14 प्रभाव हीन रहेगा।</p> <p>6. आदेश की प्रती पालना में भी जोड़े तथा प्रकाश पंजी से समाप्त होकर चलना हो।</p> <p style="text-align: right;">  18.12.15 (आधीष ज्जीवाखव) सदस्य राज्य मण्डल मध्य प्रदेश </p> | |